मु0सं0—102/2015
उनवान—प्रहलाद बनाम गुलाबसिंह वगै0
निर्णय दिनांक—17.05.2017

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,चौमूँ, जयपुर

(न्याय आपके द्वार लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम लोहरवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रियव्रत सिंह चारण (R.A.S.)

मुकदमा नं0:—102/2015

उनवान

प्रहलाद सिंह पुत्र स्व0 श्री देवीसिंह, उम्र 60 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. गुलाबसिंह पुत्र देवीसिंह, उम्र 66 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 रा0 का0 अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक:—17.05.2017

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वादी मिनजामिन व प्रतिवादी मुददई रूबरू श्री प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि—

वाके ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के आराजी खसरा नम्बर 827/1/3/2 रकबा 0.10 है0 का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 1 की बजाय वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। डिक्री पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावे।

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मु0सं0–102/2015
उनवान–प्रहलाद बनाम गुलाबसिंह वगै0
निर्णय दिनांक–17.05.2017

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ...... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 17.05.2017 को जारी किया गया

मोहर

दस्तखत (हस्ताक्षर)
ओहदा........सहायक कलेक्टर चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	
जोड़	3	जोड़	0

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जयपुर
(न्याय आपके द्वार लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम लोहरवाड़ा)
पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रियव्रत सिंह चारण (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–102/2015

उनवान

प्रहलाद सिंह पुत्र स्व0 श्री देवीसिंह, उम्र 60 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. गुलाबसिंह पुत्र देवीसिंह, उम्र 66 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 व 188 रा0 का0 अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 17.05.2017

वादी ने वाद इस आशय का पेश किया है कि विवादित भूमि वाके ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के आराजी खसरा नम्बर 827/1/3/2 रकबा 0.10 है0 में स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 09.07.2009 को उपपंजीयक चौमूं के समक्ष खसरा नम्बर 825 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 826 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 827 रकबा 5.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 828 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 836/1280 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1049/1336 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1050/1337 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1092 रकबा 1.00 हैक्टेयर, कुल किता 8 का कुल रकबा 6.74 हैक्टेयर में अपने नियत हिस्सा 1/6 में से 1/11 भाग का त्याग पत्र वादी के हक में किया था जो उपपंजीयक चौमूं के पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 292 के पृष्ठ संख्या 69 क्रम संख्या 2009002612 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 948

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

के पृष्ठ संख्या 143 से 148 पर चस्पा कियां गया था। दिनांक 09.07.2009 को प्रभावी जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 की जमाबन्दी में गुलाब सिंह पुत्र देवीसिंह कौम राजपूत का हिस्सा 1/6 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था जिसके मुताबित डीड राईटर द्वारा त्याग पत्र में हिस्सा 1/6 वर्णित कर दिया जिसके पश्चात् दिनांक 05.07.2010 को विभाजन के पश्चात् गुलाब सिंह पिता देवीसिंह हिस्सा 1/5 दर्ज कर दिया गया तथा गुलाब सिंह पुत्र देवीसिंह का हिस्सा जयपुर सेन्ट्रल को–ओपरेटिव बैंक शाखा चौमूं के रहन थी जिस कारण त्याग पत्र का नामान्तकरण नहीं भरा गया तथा गुलाब सिंह पुत्र देवीसिंह का रहन का नामान्तकरण संख्या 512 दिनांक 08.04.2011 को रहनमुक्त हुआ। जब तक प्रतिवादी संख्या 1 का राजस्व रिकॉर्ड में 1/6 के बजाय 1/5 रह गया जिससे त्याग पत्र का नामान्तकरण हल्का पटवारी ने भरने से इन्कार कर दिया। नामान्तकरण संख्या 552 दिनांक 13.02.2012 के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 827/1/3/2 रकबा 0.10 हैक्टेयर रह गया जो भूमि त्याग पंत्र में वर्णित भूमि है वही भूमि अब प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिससे यह भूमि विवादित भूमि है।

त्याग पत्र दिनांक 09.07.2009 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष नामान्तकरण हेतु दिनांक 18.11.2015 को आवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 2 ने स्पष्ट मना कर दिया कि सक्षम न्यायालय से आदेश करवाने के उपरान्त ही नामान्तकरण खुला जाना सम्भव है अन्यथा मेरे क्षैत्राधिकार के नामान्तकरण खोलना बाहर है।

वादी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि त्यागपत्र दिनांक 09.07.2009 के आधार पर विवादित आराजीयात ख0नं0 827/1/3/2 रकबा 0.10 है0 की घोषणा वादी के हक में की जावे व तदनुसार रिकॉर्ड दुरुस्ती किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द करवाये कि विवादित आराजियात् के उपयोग उपभोग में मजाहमत या मदाखलत पैदा नहीं करें, ना ही एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवायें।

वाद पेश होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी सं0 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम लोहरवाड़ा में पेश हुई। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 गुलाबसिंह स्वयं उपस्थित हुआ, जिसकी पहचान ग्राम पंचायत लोहरवाड़ा के सरपंच ने की। प्रतिवादी सं0 1 ने लिखित में राजीनामा पेश किया है कि

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

वर्तमान ख0नं0 827/1/3/2 रकबा 0.10 है0 मेरे नाम है। उसी भूमि का त्याग पत्र मैंने मेरे सगे भाई प्रहलाद सिंह के हक में किया था। वही भूमि मेरे नाम वर्तमान में है।

पत्रावली, मूल त्याग–पत्र व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा दिनांक 09.07.2009 को शामलाती खातेदारी में रकबा 0.10 है0 का त्याग किया गया था। जो मूल ही शामिल पत्रावली है तथा शामलाती भूमि का विभाजन हो जाने से प्रतिवादी सं0 1 के हक में ख0नं0 827/1/3/2 रकबा 0.10 है0 आया है। जो जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 में दर्ज नामान्तरण सं0 526 दिनांक 17.06.2011 से प्रतिवादी सं0 1 के हक में विभाजन से 827/1/3 रकबा 1.12 है0 आया तथा नामान्तरण सं0 552 दिनांक 13.02.2012 से प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा बेचान करने के बाद ख0नं0 827/1/3/2 रकबा 0.10 है0 शेष रहा है। जो प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा पूर्व में किये गये त्याग पत्र दिनांक 09.07.2009 के कारण ही सुरक्षित रखा गया। जो वर्तमान में भी प्रतिवादी सं0 1 के नाम है तथा वादी के द्वारा भी दावे में त्याग पत्र की भूमि वर्णित की है जिसको प्रतिवादी सं0 1 ने भी स्वीकार किया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ख0नं0 827/1/3/2 रकबा 0.10 है0 त्याग पत्र की भूमि है।

अतः ख0नं0 827/1/3/2 रकबा 0.10 है0 का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 1 की बजाय वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम लोहरवाड़ा में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूँ

Scanned by CamScanner